भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5771

उत्तर देने की तारीख 30 मार्च, 2026

सोमवार, 09 चैत्र, 1948 (शक)

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उद्यमिता पहल

5771. श्री नारायण तातू राणेः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025 और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 4.0), उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और अन्य संबद्ध योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित उद्यमिता-केंद्रित पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक अपना उद्यम स्थापित करने वाले या जिन्हें संरचित उद्यमिता सहायता प्रदान की गई है, उन युवाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उद्यमों की स्थापना और उनके विस्तार को सुगम बनाने में स्टार्टअप इंडिया, वित्तीय संस्थानों तथा इनक्यूबेशन केंद्रों के साथ संस्थागत भागीदारी की क्या भूमिका है; और

(घ) क्या सरकार का स्थायी युवा उद्यमिता परिणामों को और सुदृढ़ करने के लिए कोई लक्षित प्रोत्साहन, क्षेत्र-विशिष्ट सहायता या अभिसरण उपायों का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। वर्ष 2025 के दौरान, स्वरोजगार, उद्यम सृजन और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यमशीलता केंद्रित कई पहलें विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और महत्वाकांक्षी सूक्ष्म उद्यमियों के बीच लागू की गईं। ये पहलें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ) और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कौशल भारत मिशन से जुड़ी थीं।

मंत्रालय ने अपने स्वायत्त संगठनों, जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से, समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) लागू किए हैं। इन ईडीपी और ईएसडीपी का उद्देश्य उद्यमशीलता, वित्तीय एवं प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना और प्रशिक्षण के बाद मार्गदर्शन, सहायता, ऋण/वित्त, बाजार संपर्क और इनक्यूबेशन सुविधाओं तक पहुंच के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करके विविध करियर अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) में अंतर्निहित उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता और आजीविका सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इसके अलावा, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म को एक ऐसे मंच के रूप में लॉन्च किया गया है जो कौशलीकरण, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम को एकीकृत करता है और हितधारकों के व्यापक समूह को लक्षित करते हुए आजीवन सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का बयौरा सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे संभावित नियोक्ताओं से जुड़ सकते हैं। सिद्ध के जरिए उम्मीदवार रोजगार, शिक्षुता के अवसर और उद्यमिता के लिए ऋण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

उद्यमिता से संबंधित, वित्त वर्ष 2025-26 में पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के जॉब रोल्स के अनुसार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	**जॉब रोल्स का नाम**	**प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त**
i.	दुग्ध उत्पादक/उद्यमी	159
ii.	ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उद्यमी	336
iii.	हथकरघा उद्यमी	31
iv.	प्रसंस्कृत खाद्य उद्यमी	108
v.	स्ट्रीट फूड विक्रेता - स्टैंडअलोन	2,105
	कुल	**2,739**

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 में पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कई परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, जिनका कुल लक्ष्य 81,825 है और ये विभिन्न उद्यमिता संबंधी जॉब रोल्स जैसे स्ट्रीट फूड विक्रेता - स्टैंडअलोन, डेयरी किसान उद्यमी और पशुधन हरित प्रबंधन प्रमोटर से संबंधित हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0) के अंतर्गत, 2025 के दौरान विशेष परियोजनाओं के रूप में वित्त पोषित प्रमुख उद्यमिता विकास कार्यक्रम और स्थापित उद्यम/वन धन केंद्र/जन पोषण केंद्र **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निस्बड और आईआईई द्वारा विभिन्न पहलें कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पहलों का ब्यौरा, जिनमें उद्यम स्थापित करने वाले या संरचित उद्यमिता सहायता प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या शामिल है, **अनुबंध-II** में दी गई है।

उद्यम स्थापित करने वाले या संरचित उद्यमिता सहायता से लाभान्वित होने वाले युवाओं की संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ग) और (घ) स्टार्टअप इंडिया, वित्तीय संस्थानों और इन्क्यूबेशन केंद्रों के साथ संस्थागत साझेदारी उद्यम निर्माण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंत्रालय संस्थागत साझेदारियों और युवा उद्यमिता परिणामों को मजबूत करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप और समन्वय उपाय लागू कर रहा है। लक्षित क्षेत्रों में डेयरी किसान/उद्यमी, हरित हाइड्रोजन संयंत्र उद्यमी, हथकरघा उद्यमी, प्रसंस्कृत खाद्य उद्यमी, स्ट्रीट फूड विक्रेता, उचित मूल्य की दुकानें, रूफटॉप सोलर, ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण आदि शामिल हैं।

इस संबंध में, विशिष्ट हस्तक्षेप और अभिसरण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं-

I. ऋण और बाजार संबंधों को बढ़ावा देना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से ठोस उद्यम परिणाम सुनिश्चित करने हेतु मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करना।
II. उद्यम पंजीकरण और डिजिटल अपनाने सहित औपचारिकीकरण को प्रोत्साहन देना।
III. कृषि प्रसंस्करण और खाद्य मूल्य श्रृंखला; हथकरघा, हस्तशिल्प और पारंपरिक उद्योग; पर्यटन और आतिथ्य; सौर ऊर्जा उद्यम आदि जैसे उच्च रोजगार और स्थानीय क्षमता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देना।
IV. क्षेत्र के अनुरूप कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों का विकास।
V. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के साथ समन्वय को मजबूत किया गया है।
VI. इसके अलावा, मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण में भाग लिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को उद्यमिता नीति समर्थन और कौशल विकास दोनों से लाभ मिले, जिससे स्टार्टअप महाकुंभ स्टार्टअप, नवोन्मेषकों और युवा प्रतिभागियों के लिए एक अधिक समग्र मंच बन गया।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

अनुबंध- I

दिनांक 30.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5771 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के रूप में वित्त पोषित विभिन्न उद्यमिता पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)** - जनजातीय मंत्रालय की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजना 'पीएम जनमन' के कौशल विकास और उद्यमिता घटक को मार्च 2024 से एमएसडीई निस्बड और आईआईई के माध्यम से लागू कर रहा है। यह योजना एमएसडीई सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। मंत्रालय के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) में कौशल और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है। यह परियोजना जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के सहयोग से देश भर के 15 राज्यों में लागू की जा रही है, जिसके तहत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं। दिनांक 25.03.2026 तक, कुल 38,386 लाभार्थियों को संरचित उद्यमिता सहायता प्रदान की गई है और कुल 489 वीडीवीके को चालू किया गया है।

2. **उचित मूल्य दुकान मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम** - उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के सहयोग से एमएसडीई ने उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) मालिकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य एफपीएस मालिकों को खुदरा उद्यमियों द्वारा अपनाई जा रही समकालीन प्रक्रियाओं के अनुरूप अपने व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाना है। दिनांक 25.03.2026 तक, इस कार्यक्रम के तहत 315 एफपीएस मालिकों को संरचित उद्यमिता सहायता प्रदान की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 91 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्रों में परिवर्तित किया गया है।

अनुबंध II

दिनांक 30.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5771 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. **स्वावलंबिनी कार्यक्रम:** एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के सहयोग से फरवरी 2025 में उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में स्वावलंबिनी - एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1,200 छात्राओं को उद्यमिता जागरूकता प्रशिक्षण (ईएपी) प्रदान करके और इनमें से 600 छात्राओं को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रदान करके उनमें उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है। निस्बड और आईआईई इस कार्यक्रम के कार्यान्वयनकर्ता हैं। इसके अलावा, स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म की पुरस्कार पहल के माध्यम से कार्यक्रम से उभरने वाली सफल महिला उद्यमियों को पहचानना और पुरस्कृत करना है। यह कार्यक्रम महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास में सहयोग देने के लिए कार्यशालाओं, प्रारंभिक वित्तपोषण और सुनियोजित मार्गदर्शन का लाभ उठाएगा।

दिनांक 25.03.2026 तक, कुल 559 उम्मीदवारों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 11 उद्यमों की स्थापना हुई है।

2. **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम -**एमएसडीई के अंतर्गत निस्बड, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के सहयोग से, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर उद्यमिता पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना, उद्यमियों को सशक्त बनाना और सौर उद्यमिता के क्षेत्र में उभरते और मौजूदा उद्यमियों को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करके स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करना है। दिनांक 15.03.2026 तक, कुल 30,928 लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इस पहल के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 4,225 महिलाएं हैं और 6144 उद्यम स्थापित किए गए हैं।

3. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ)** - दाजगुआ जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना है, जिसके तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) को 30 जनजातीय जिलों में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने और 1000 जनजातीय समुदायों और आदिवासी समूहों की क्षमता निर्माण और व्यवसाय विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के दो विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। दिनांक 15.03.2026 तक, इस पहल के तहत कुल 12,746 लाभार्थियों को संरचित उद्यमिता सहायता प्रदान की गई है।

4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी) और इन्क्यूबेशन केंद्र (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन करना- इस परियोजना के अंतर्गत, आईआईई को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा विकास केंद्र (ईडीसी) और इनक्यूबेशन सेंटर (आईसी) स्थापित करने, विकसित करने और प्रबंधित करने का दायित्व सौंपा गया है। परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्यों में 30 ईडीसी और 4 आईसी की स्थापना, विकास और प्रबंधन, 30 लक्षित जिलों से 600 मेंटरों की पहचान और प्रशिक्षण, 30 लक्षित जिलों से 3600 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण, 4 आईसी में 100 व्यावसायिक विचारों को बढ़ावा देना, अभिसरण के माध्यम से 30 ईडीसी में 900 व्यावसायिक विचारों का समर्थन करना और 4 आईसी में शीर्ष 50 इनक्यूबेटों के लिए सीड फंड प्रदान करना शामिल है।

15.03.2026 तक, उत्तर पूर्वी राज्यों में फैले 30 ईडीसी पूरी तरह से कार्यरत हैं और उन्होंने 677 मेंटरों को प्रशिक्षित किया है। ईडीपी के तहत 943 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है और 150 उद्यमियों को इनक्यूबेशन के लिए चुना गया है।

5. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) - ट्रांसजेंडरों के लिए ईडीपी कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्माइल (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण) योजना के तहत निस्बड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के कौशल विकास, उद्यम निर्माण और वित्तीय सशक्तिकरण पर केंद्रित है, साथ ही योजना के दिशानिर्देशों, परिणाम मूल्यांकन और प्रदर्शन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम की स्थिति के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली और मुंबई जैसे विभिन्न स्थानों पर कई ईडीपी बैच आयोजित किए जा चुके हैं। 15.03.2026 तक, निस्बड ने 5 कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें लगभग 125 ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों ने भाग लिया है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से लगभग 20% ने अपने उद्यम स्थापित किए हैं और संस्थान के सहयोग से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड मेला और सूरजकुंड मेला प्रदर्शनियों में भाग लिया है।

अनुबंध-III

दिनांक 30.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5771 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

पिछले 3 वर्षों में उद्यम स्थापित करने और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले युवाओं की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	**परियोजना का नाम**	**स्थापित उद्यमों की संख्या**	**उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित**
भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई)			
1	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान - पीएम जनमन	30	1702
2	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ)	6	1200
3	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना	1361	14000
4	प्रधानमंत्री वन धन योजना - पीएमवीडीवाई (प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन - पीएमजेवीएम के तहत)	358	107400
5	एसएफआरटीआई (पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना)	54	30000
6	किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और प्रोत्साहन	13	2993
7	मछली पालक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन और पुनरुद्धार	25	4661
8	संकल्प योजना के अंतर्गत आदिवासी कारीगरों के लिए व्यापक उद्यमशीलता और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीईएसडीटीपी)	1000	10000
9	डीसी-एमएसएमई के अंतर्गत ईएसडीपी योजना	76	20063
10	स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)	4092	28111
	कुल	**7015**	**220130***
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान			
1	संकल्प योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को मजबूत बनाना	21629	62825

2	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएमजनमन)	459	36684
3	स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम	11	302
4	औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना	1022	32091
5	उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम	91	315
6	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ)	0	11546
7	पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए पायलट आधार पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना	194	1704
8	जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमिता के अनुकूल वातावरण का निर्माण।	1463	3969
9	पवित्र शहरों में उद्यमिता विकास पर पायलट परियोजना	747	8023
10	कारीगरों के मेलों और हाटों में कार्यशालाओं का आयोजन करना	330	592
11	उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना	1917	5000
12	सौर उद्यमिता पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर उद्यमिता आधारित कौशल विकास कार्यक्रम	6144	30928
	कुल	**34007**	**193979****

* हालांकि, उद्यमियों के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या 2,60,142 है।

** हालाँकि, उद्यमियों के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या 3,04,597 है।

अनुबंध- IV

दिनांक 30.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5771 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

सरकार द्वारा उद्यमिता के समर्थन हेतु कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न अन्य उपायों/योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित पहलू हैं:

1. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय:** लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को लागू कर रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएमईजीपी के तहत देश भर में सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपये)	अनुमानित रोजगार सृजन
2022-23	85,167	2,722.17	6,81,336
2023-24	89,118	3,093.87	7,12,944
2024-25	59,708	2,202.00	4,77,664

2. **ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)** - ग्रामीण कौशल प्रभाग, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनएलआरएम) के अंतर्गत, देश में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार हेतु कौशल विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित दो कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:-

क. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार-आधारित कौशल विकास कार्यक्रम है। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 में स्वरोजगार और अस्थायी रोजगार के प्रावधान शामिल हैं, और प्रशिक्षण गतिविधियां हाल ही में शुरू हुई हैं।

ख. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) बैंक के नेतृत्व में संचालित और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनकी स्थापना प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु की गई है। आरएसईटीआई के अंतर्गत, वर्ष 2025-26 के दौरान प्रशिक्षित युवाओं की संख्या और स्थापित उद्यमों या लाभान्वित युवाओं की संख्या नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष	कुल	
	प्रशिक्षित	नियोजित
2025-26 (फरवरी 26 तक)	5.11 लाख	3.39 लाख

3. वस्त्र मंत्रालय की समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) के तहत मांग आधारित और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनका उद्देश्य संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए उद्योग के प्रयासों को पूरा करना है। ये कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हैं। इस योजना के तहत दिनांक 05.03.2026 तक कुल 5.95 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

4. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) को 2021-22 से शुरू होकर चार वर्षों की अवधि के लिए 945 करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुमोदित किया गया था। यह योजना स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र स्टार्टअप्स को इनक्यूबेटरों के माध्यम से अवधारणा के प्रमाण और विचारों के सत्यापन, प्रोटोटाइप विकास और उत्पाद परीक्षण, उत्पाद विकास और परीक्षण तथा बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्पाद विकास में प्रगति और बाजार में लॉन्च के लिए तत्परता से जुड़े मील के पत्थर आधारित किस्तों में इनक्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स को धनराशि वितरित की जाती है। मील के पत्थर आधारित वितरण की प्रकृति और स्वीकृत धनराशि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप्स द्वारा आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिबद्ध धनराशि के निरंतर वितरण को सुविधाजनक बनाने और इनक्यूबेटरों और स्टार्टअप्स को अनुमोदित गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए योजना को हाल ही में विस्तार दिया गया है।

दिनांक 31 जनवरी 2026 तक, योजना के तहत 219 इनक्यूबेटरों का चयन किया जा चुका है और इन चयनित इनक्यूबेटरों के लिए 945 करोड़ रुपए की पूरी राशि आवंटित की जा चुकी है, जिसमें से 575 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा,अनुमोदित इनक्यूबेटरों ने योजना के तहत समर्थन के लिए कुल 3,311 स्टार्टअप का चयन किया है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, ऋण तक आसान पहुंच के लिए, सरकार पात्र वित्तीय संस्थानों [सदस्य संस्थानों (एमआई)] के माध्यम से स्टार्टअप को ऋण वित्तपोषण सक्षम करने के लिए स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस) भी लागू कर रही है। सीजीएसएस का संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है और यह 1 अप्रैल 2023 से लागू है। दिनांक 31 जनवरी 2026 तक, सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप उधारकर्ताओं को 925.90 करोड़ रुपए के 348 ऋणों की गारंटी दी गई है।

5. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना को केंद्रीय क्षेत्रक की योजना के रूप में कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं के उद्यमिता और नेतृत्व विकास, और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यकों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है। पीएम विकास योजना के महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक के अंतर्गत 3,380 से अधिक महिला उम्मीदवारों का लक्ष्य रखा गया है।

6. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई थी, जिसके तहत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई), जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) द्वारा 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो ऋण लेने के लिए पात्र है और जिसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, वह इस योजना के तहत आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। यह ऋण चार श्रेणियों में उपलब्ध है: शिशु (50,000 रुपये तक का ऋण), किशोर (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का ऋण), तरुण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण) और तरुण प्लस (10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक का ऋण)। दिनांक 27.02.2026 तक, योजना की शुरुआत से अब तक कुल 57.26 करोड़ ऋण खातों को 39.48 लाख करोड़ रुपये की राशि का ऋण दिया जा चुका है। यह योजना वर्तमान में पूरे देश में कार्यरत और कार्यान्वित की जा रही है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना (एसयूआई) यह योजना 05.04.2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना था, जिसमें प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना था, जिसमें कृषि से संबंधित गतिविधियां भी शामिल थीं। यह योजना मार्च 2025 तक वैध/संचालित थी।

स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 31.03.2025 तक देशभर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 62,790 करोड़ रुपये के 2.75 लाख से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
